



अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद

द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में आवासीय भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मा0 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटको) के अर्न्तगत शर्तें लागू फ्लेट/भवनो का आवंटन

“प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त”

के आधार पर आवंटन किया जायेगा

पंजीकरण अवधि- दिनांक- 20.12.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक

क्र0	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	उपलब्ध संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	अनुमानित मूल्य (रु0 में)	पंजीकरण/ धरोहर धनराशि(रु0 में)
1	कोशलपुरी योजना फेज-2	HIG B ((1ड्राइंगरूम,3 बेडरूम, किचन, लाबी, 3टवायलेट	2SF	138.05	34,86,600-00	3,49,000.00
2	जनकपुरी आवासीय अयोध्या योजना	ई.डब्लू.एस भवनभूतल	03	32.00	7,78,291.00	78,000.00
		ई.डब्लू.एसभवन प्रथमतल	11	32.00	6,79,514.00	68,000.00
		एलआईजी भवन भूतल	18	75.00	20,60,508.00	2,07,000.00
		एलआईजीभवन प्रथमतल	20	75.00	18,05,782.00	1,81,000.00
		एमआईजी डूपलेक्स	08	65.00	34,84,309.00	3,49,000.00
3	साकेतपुरी योजना	EWS FF भवनसं0-106 न 107	02	50.00	7,91,624.00	79,200.00
		एम0आईजी भवन F.F.	01	152.14	49,32,189.00	4,94,000.00
		एम0आईजी भवन S.F.	01	152.14	49,32,189.00	4,94,000.00
4	अवध बिहार	2बीएचके भवन जीएफ सं0 01	1	105.50	42,66,491.00	4,27,000.00
		2बीएचके भवन F F भवन सं0 05	01	105.50	38,08,506.00	3,81,000.00
5	मुख्य मंत्री आवास योजना, प्रहलादघाट	मिनी एम.आई.जी. भूतल	13	75.00	23,83,278.00	2,38,500.00
		मिनीएमआईजी. प्रथमतल	15	75.00	21,09,388.00	2,11,000.00

- पंजीकरण पुस्तिका रु0-300+ 5% जी0एस0टी0 का नगद भुगतान कर दिनांक 20.12.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक पंजाब नेशनल बैंक अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण सिविल लाइन्स फैजाबाद से प्राप्त की जा सकती है।
 - प्राधिकरण की सभी सम्पत्तियों का आवंटन “जहाँ है जैसे है” के आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि संशोधनीय होगी।
 - उपरोक्त सभी भवन सभी वर्गों के विक्रय हेतु उपलब्ध है।
 - “प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त” सिद्धान्त के अर्न्तगत चूँकि आवंटन आवेदक के विकल्प एवं पसन्द के आधार पर किया जायेगा। अर्न्तगत प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार उक्त आवंटन निरस्तीकरण की स्थिति में कोई भी जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
 - वर्तमान में आवंटन निरस्तीकरण की प्रक्रिया में गतिमान प्रकरणों में निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर भवनों की सख्या घट सकती है।
 - जनकपुरी आवासीय योजना के ई0डब्लू0एस भवनों का कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के पश्चात नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निस्पादन के उपरान्त दिया जायेगा।
- नोट:-विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालय कार्यदिवसों में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति से सीधे सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित हैं।

अधीक्षण अभि0

उपाध्यक्ष